प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 25.12.2024

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा अवैध तमंचा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24.12.2024 को वादी द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तहरीर दी गई कि वादी के पडोस में किराये पर रहने वाले अरुण कुमार पुत्र गोविन्द व देबू पुत्र कपिल द्वारा तमंचे व चाकू से उसको डराना व धमकाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 351(3) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

तत्पश्चात थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अरुण कुमार पुत्र गोविन्द निवासी बाल्मीकि मौहल्ला शाहबाद जिला रामपुर को सैन विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि मै दिनांक 24.12.2024 को अपने दोस्त देबू पुत्र कपिल के पास मिलने सैन विहार में आया था। मेरे पास अवैध तमंचा था। मैं और मेरा दोस्त देबू सैन विहार में पडोस में आग के पास बैठ कर हाथ ताप रहे थे वही पर वादी भी अपने हाथ ताप रहा था। पहले हमारी उससे मजाक चलती रही और धीरे-धीरे मजाक आगे बढती चली गई और हममें विवाद हो गया तो मैंने अपना तमंचा निकाल कर उसको डराया व धमकाया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अरुण कुमार पुत्र गोविन्द निवासी बाल्मिकि मौहल्ला शाहबाद जिला रामपुर, उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर Viral In India नामक फेसबुक पेज द्वारा मा0 गृह मंत्री, भारत सरकार की मृत्यु के सम्बन्ध में झूठी/भ्रामक खबर फैलाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण -

दिनांक 24.12.2024 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी श्री अनिल शर्मा पुत्र स्व0 बी0 आर0 शर्मा, मंडल अध्यक्ष (भाजपा) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा लिखित सूचना दी गयी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर Viral In India नामक फेसबुक पेज द्वारा एक पोस्ट वायरल की गयी है, जिसके द्वारा मा0 गृह मंत्री, भारत सरकार की मृत्यु की झूठी/भ्रामक खबर फैलायी जा रही है। जिसके सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए अन्तर्गत धारा 353(2) बीएनएस व 67 सूचना प्रोधौगिकी (संशोधन) अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया।

दिनांक 25.12.2024 को मैनुअल इनपुट, साईबर व सर्विलांस टीम की सहायता से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर Viral In India नामक फेसबुक पेज द्वारा मा0 गृह मंत्री, भारत सरकार की मृत्यु के सम्बन्ध में झूठी/भ्रामक खबर फैलाने वाला अभियुक्त रोहित पुत्र अखिलेश कुमार नि0 ग्राम खुशालपुर थाना मंझोला जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 34 वर्ष को हिंडन बैराज वसुन्धरा थाना इन्दिरापुरम के पास से अन्तर्गत धारा 170,126,135 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

गिरफ्तार अभियुक्त रोहित पुत्र अखिलेश कुमार नि0 उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त के द्वारा ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर Viral In India फेसबुक पेज द्वारा ही मा0 गृह मंत्री, भारत सरकार की मृत्यु के सम्बन्ध में झूठी/भ्रामक खबर के सम्बन्ध में पोस्ट किया गया था, जिसका मकसद अपने फेसबुक पेज को वायरल कर अपने फॉलोवर्स बढाने का था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

- रोहित पुत्र अखिलेश कुमार नि0 ग्राम खुशालपुर थाना मंझोला जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 34 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

- गिरफ्तार अभियुक्त रोहित पुत्र अखिलेश कुमार उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा NDPS ACT के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 09.12.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग/गस्त के दौरान अभियुक्त शाहिद पुत्र फसी अहमद निवासी यस बैंक के पास स्कूल ब्लाक शकरपुर पूर्वी दिल्ली, हाल पता विकास विहार गौरव मार्केट रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 32 वर्ष व अभियुक्ता आफरीन पुत्री असगर निवासी विकास विहार गौरव मार्केट रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष को गढी कटैया कट चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 19 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। मौके से अभियुक्त असगर फरार हो गया था जिसके संबंध मे थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 25.12.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त असगर पुत्र जफीरुद्दीन निवासी मौहल्ला रामपार्क विकास विहार गौरव मार्केट थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 58 वर्ष को थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त असगर ने बताया कि आफरीन मेरी पुत्री है। मैं अपने रिश्तेदार शाहिद से काफी दिनों से गांजा ऑर्डर पर मंगाता था। गांजा के बदले हम रुपये देते थे और मैं अपनी पत्नी व बेटियों के साथ मिलकर गांजा को छोटी छोटी पालीथीन में पैक करके चोरी छिपे राह चलते व्यक्तियों को घूम फिरकर बेच देता था तथा मिले रूपयों को आपस में बांट लेते थे। मैं अब तक पुलिस से छिपता रहा लेकिन आज पुलिस द्वारा पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

असगर पुत्र जफीरुद्दीन निवासी मौहल्ला रामपार्क विकास विहार गौरव मार्केट थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 58 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर NDPS ACT का 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।